रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART I—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 587] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 7, 2008/कार्तिक 16, 1930

No. 587] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 7, 2008/KARTIKA 16, 1930

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 2008

सा.का.नि. 777(अ).—बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51) की धारा 36 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के साथ पठित, धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा, ऋण वसूली अधिकरण (पीठासीन अधिकारी के वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन एवं शर्तें) नियमावली, 1993 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है :—

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ.—(1) इन नियमों को ऋण वसूली अधिकरण (पीठासीन अधिकारी के वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन एवं शर्तें) (संशोधन) नियमावली, 2008 कहा जाएगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. नियम 3 के स्थान पर नए नियम को प्रतिस्थापित करना.—ऋण वसूली अधिकरण (पीठासीन अधिकारी के वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन एवं शर्तें) नियमावली, 1993 (इसमें इसके बाद उक्त नियम कहा जाएगा) में, नियम 3 के लिए, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

"3. वेतन.—अधिकरण के पीठासीन अधिकारी को, दिनांक 1-1-2006 से लागू वेतन बैंड/वेतनमान 37,400—67,000 रुपए (वेतन बैंड-4) + ग्रेड वेतन 10000 रु. में, वेतन का भुगतान किया जाएगा।

बशर्ते कि, पीठासीन अधिकारी के रूप में ऐसे व्यक्ति, जो जिला न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त हुआ हो अथवा केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार की सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है और जो पेंशन उपदान, अंशदायी भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान और दूसरे अन्य प्रकार के सेवानिवृत्त लाभ प्राप्त कर रहा हो अथवा प्राप्त कर लिया हो, अथवा प्राप्त करने का हकदार बन गया हो, की नियुक्ति की स्थिति में ऐसे पीठासीन अधिकारी के वेतन में से कुल पेंशन की राशि अथवा अंशदायी भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान अथवा कोई अन्य प्रकार की सेवानिवृत्ति लाभ, यदि कोई उनके द्वारा प्राप्त किया गया है अथवा प्राप्त किया जाने वाला है, घटा दिया जाएगा।"

3. नियम 4 में संशोधन.—उक्त नियम के नियम 4 में "18,400-500-22,400 रु. वेतनमान" शब्दों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर "37,400—67,000 रु. (वेतन बैंड 4) + ग्रेड वेतन 10,000 रु. वेतन बैंड अथवा वेतनमान", शब्द, अक्षर और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

4. नियम 5 के स्थान पर नया नियम प्रतिस्थापित करना.—उक्त नियम के नियम 5 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, नामतः :—

"5. महंगाई भत्ता और परिवहन भत्ता.—अधिकरण का पीठासीन अधिकारी, समतुल्य वेतन पाने वाले केन्द्रीय सरकार के समूह 'क' अधिकारियों पर लागू महंगाई भत्ता और परिवहन भत्ता लेने का पात्र होगा।"

[फा. सं. ए-11012/2/2008-डीआरटी]

के. वी. ईपन, संयुक्त सचिव

स्पष्टीकारक ज्ञापन

यह संशोधन छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों, जो 1 जनवरी, 2006 से लागू है के परिणामस्वरूप हुआ है और इसके अधिसूचना के भूतलक्षी प्रभाव के कारण किसी के हित पर प्रतिकूल असर नहीं होगा ।

पाद टिप्पणी :—प्रधान नियमावली, दिनांक 4 फरवरी, 1994 को सा.का.नि. 62(अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित हुई थी । बाद में, 19 मार्च, 1998 के सा.का.नि. 139(अ) के तहत संशोधित की गई थी ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th November, 2008

G.S.R. 777(E).—In exercise of powers conferred by Section 13, read with clause (a) of sub-section (2) of Section 36, of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 (51 of 1993), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Debts Recovery Tribunal (Salaries, allowances and other terms and conditions of service of Presiding Officer) Rules, 1993, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Debts Recovery Tribunal (Salaries, allowances and other terms and conditions of service of Presiding Officer) (Amendment) Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Substitution of rule 3 for new rule.**—In the Debts Recovery Tribunal (Salaries, allowances and other terms and conditions of service of Presiding Officer) Rules, 1993 (hereinafter referred to as the said rule), for rule 3, following rule shall be substituted, namely :—

"3. **Salary.**—The Presiding Officer of a Tribunal shall be paid a salary in the Pay band/scale of Rs. 37,400—67,000 (PB-4) + Grade Pay Rs. 10,000 with effect from 1-1-2006.

Provided that in the case of an appointment of a person as a Presiding Officer, who has retired as a District Judge, or who has retired from service, under the Central Government or a State Government and who is in receipt of or has received or has become entitled to receive any retirement benefit by way of pension, gratuity, employer's contribution to the Contributory Provident Fund or other forms of retirement benefits, the pay of such Presiding Officer shall be reduced by the gross amount of pension or employer's contribution to the Contributory Provident Fund or any other form of retirement benefit, if any drawn or to be drawn by him".

3. **Amendment of rule 4.**—In rule 4 of the said rule, for the words, letters and figures "scale of pay of Rs. 18,400-500-22,400", the words, letters and figures, "pay band or scale of Rs. 37,400—67,000 (PB-4) + Grade Pay Rs. 10,000" shall be substituted.

4. **Substitution of rule 5 for new rule.**—For rule 5 of the said rule, the following rule shall be substituted, namely :—

"5. **Dearness allowance and Transport allowance.**—The Presiding Officer of a Tribunal shall be entitled to draw Dearness Allowance and Transport Allowance at the rate applicable to Group 'A' Officers of the Central Government drawing an equivalent pay."

[F. No. A-11012/2/2008-DRT]

K. V. EAPEN, Jt. Secy.

EXPLANATORY MEMORANDUM

The amendment is consequent upon the Sixth Central Pay Commission's recommendations which is applicable with effect from 1st January, 2006 and nobody's interest will be affected adversely by notification being given retrospective effect.

Foot Note :—The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide*, G.S.R. 62(E), dated 4th February, 1994, and subsequently amended, *vide*, G.S.R. 139(E), dated 19th March, 1998.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.